संख्या - क0नि0 6650/11-2000-500(82)/2000

प्रेषक,

टी जार्ज जोसेफ
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन

सेवा मे,

1- समस्त अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
एवं जिलानिबंधक उत्तर प्रदेश

2- समस्त उप निबंधक,
उत्तर प्रदेश।

कर एवं निबंधन अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 30 नवम्बर 2000

विषय- भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47 क (1) के अन्तर्गत कमी स्टाम्प जमा कराने पर उपनिबंधक द्वारा पृष्ठांकन किये जाने की व्यवस्था।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या क0नि0-5-4119-11-2000-500(82)/2000 दिनांक 28-7-2000 तथा क0नि0 -5-5466/11-2000-500(82)/2000 दिनांक 20-10-2000 का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त शासनादेशों के संदर्भ में कतिपय जनपदों से रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारियों ने यह जिज्ञासा व्यक्त की है कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 47 क (1) के अन्तर्गत यदि निष्पादनकर्ता/ उक्त कमी स्टाम्प को राजकोष में जमा करके चालान प्रस्तुत कर दिया है तो संबंधित विलेख की रजिस्ट्री करते समय उस जमा की गई स्टाम्प के बारे में किस प्रकार के पृष्ठांकन अंकित किया जाये।

2- इस संबंध में शासन द्वारा समस्त रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारियों को यह स्पष्ट किया जाता है कि उनके समक्ष रजिस्ट्री हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले विलेख उक्त अधिनियम की धारा-35 के अन्तर्गत कमी स्टाम्प वाले विलेख की श्रेणी में आते है और जिस प्रकार धारा 47 क (4) के अन्तर्गत कलेक्टर के आदेश पर राजकोष में जमा की गई कमी स्टाम्प की धनराशि के चालान को देखकर कलेक्टर द्वारा धारा 42 के अन्तर्गत पृष्ठांकन अंकित किया जाता है उसी प्रकार रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जिसके समक्ष ऐसे विलेख प्रस्तुत किए है, वे भी धारा 42 के अन्तर्गत जमा की गयी धनराशि के चालान को देखकर पृष्ठांकन अंकित कर सकते है।

कृपया उपरोक्तानुसार समस्त मामलों में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करके इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करें एवं इस शासनादेश की प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करे।

भवदीय

ह०/-

(टी0 जार्ज जोसेफ)

प्रमुख सचिव

संख्या - क0नि0 6650(1)/11-2000-500(2)/2000 तददिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- आयुक्त स्टाम्प/अपर सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- गार्ड निरीक्षक,निबन्धन, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3- समस्त उप/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से

ह०/-

(यू०के०एस०चौहान)

विशेष सचिव